उत्तर प्रदेश शासन

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग

संख्या-7/2024/810(1)/63-व0उ0-2024-99(एच)/2022

लखनऊः दिनांकः 04 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना संख्या-7/2024/810/63-व0उ0-2024-99(एच)/2022 दिनांक-04-12-2024 के द्वारा प्रख्यापित हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं को आधार प्रमाणीकरण किये जाने हेतु प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।

2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4- प्रबन्ध निदेशक, श्रीटान इण्डिया लि0, लखनऊ।

5- समस्त परिक्षेत्रीय अधिकारी/संयुक्त आयुक्त/उप आयुक्त, उद्योग उ0प्र0।

6- नियोजन अनुभाग-1

7- विधायी अनुभाग-1

8- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना (अंग्रेजी एवं हिंदी) की 1000 प्रतियाँ असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड-(ख) में प्रकाशित कराकर शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरभि सिंह)
अनु सचिव।

Uttar Pradesh Shasan
Hathkargha Evam Vastrodyog Vibhag

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification NO-07/2024/810/63-V.U.-2024-99(H)/2022 Dated 04 December, 2024

Notification

No-07/2024/810/63-V.U.-2024-99(H)/2022

Lucknow: Dated- 04 December, 2024

WHEREAS, the use of Aadhaar as an indentity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency. and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity:

AND WHEREAS, the Department of Handloom and Textiles (hereinafter referred to as the Department), is administering the Atal Bihari Bajpai Powerloom Bunkar Vidyut Flat Rate Yojna, Jhalkari Bai Kori Hathkargha Evam Powerloom Vikas Yojna, Sant Kabir Rajya Hathkargha Purashkar Yojna, Mukhya Mantri Handloom Evam Powerloom Udyog Vikas Yojna, Uttar Pradesh Textile and Garmenting Policy-2022, Rashtriya Hathkargha Vikas Karyakram (N.H.D.P), Kaccha Maal Aapurti Yojna(R.M.S.S) Implementation Scheme (hereinafter referred to as the Scheme) Which is being implemented through the Directorate of Handloom and Textiles, U.P., Kanpur (here in after referred to as the Implementing Agency);

AND WHEREAS, under the Scheme, Direct Subsidy Benefit Transfer (hereinafter referred to as the benefit), is given to the Weavers (here in after referred to as the beneficiaries), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines;

AND WHEREAS, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Uttar Pradesh.

NOW, THEREFORE, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial andOther Subsidies, Benefits and services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the saidAct), the government of Uttar Pradesh here by notifies the following, namely:-

1. (I) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme Shall hereby be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or under go Aadhaar authentication.

(II) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make

application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that heis entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in to get enrolled for Aadhaar.

(III) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under theScheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:-

a. If he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

b. Any one of the following documents, namely:-

i. Bank or Post office Passbook with Photo; or
ii. Permanent Account Number (PAN) card; or
iii. Passport; or
iv. Ration Card; or
v. Voter Identity Card; or
vi. MGNREGA card; or
vii. Kisan Photo passbook; or
viii. Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988(59 of 1988); or
ix. Certificate of identity having photo of such person issued by Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
x. Any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries ordue to any reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, Integrated Risk Information System scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for Integrated Risk Information System scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) In case the biometric authentication through fingerprints or Integrated Risk Infromation System scan of face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) In all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Adhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In addition to the above, in order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December 2017.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By Order,

(Alok Kumar)
Principal Secretary

उत्तर प्रदेश शासन

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग

संख्या-07/2024/810/63-व030-2024-99(एच)/2022

लखनऊ: दिनांकः 04 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

चूंकि सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी परिदान प्रकियाएं सुगम हो जाती है, पारदर्शिता और दक्षता आ जाती है, और किसी की पहचान साबित करने के लिए बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता से मुक्त होते हुये लाभार्थी सीधे सुविधाजनक और निर्बाध रीति से अपना हक प्राप्त करने योग्य हो जाते हैं ;

और, चूंकि, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग (जिसे आगे "विभाग" कहा गया है) अटल बिहारी बाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना, झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना (एस0सी0पी0), संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना, मुख्यमंत्री हैण्डलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना, उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2022, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एन0एच0डी0पी0), कच्चा माल आपूर्ति योजना (आर0एम0एस0एस0) (जिसे आगे उक्त "योजना" कहा गया है) प्रशासित कर रहा है जो हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश (जिसे आगे "क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण" कहा गया है) के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं;

और, चूंकि, योजनाओं के अधीन, क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण द्वारा विद्यमान योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार बुनकरों (जिन्हें आगे "लाभार्थी" कहा गया है) को सीधे सहायिकी प्रसुविधा अंतरण (जिसे आगे "प्रसुविधा" कहा गया है) प्रदान किया जाता है ;

और, चूंकि, पूर्वोक्त योजनाओं में उत्तर प्रदेश की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित है; अतएव, अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम,2016 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2016) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार एतद्द्वारा निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थातः-

1(एक) उक्त योजना के अधीन प्रसुविधाएँ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति से एतद्द्वारा आधार संख्या धारित करने का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार अधिप्रमाणन कराने की अपेक्षा की जायेगी;

(दो)उक्त योजनाओं के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने का इच्छुक कोई व्यक्ति, जो आधार संख्या धारित न करता हो या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन न किया हो, से उक्त योजना को रजिस्ट्रीकृत करने के पूर्व आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा की जायेगी, परन्तु यह कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसे व्यक्ति को आधार हेतु नामांकित किये जाने के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण(यू0आई0डी0ए0आई0) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) पर जाना होगा;

(तीन) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग से अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से ऐसे लाभार्थियों, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित न हों, के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जायेगी, और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित न हो तो विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान

प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का रजिस्ट्रार होकर सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधायें प्रदान करेगा:

परन्तु यह कि आधार किसी व्यक्ति को समनुदेशित किये जाने के समय तक उक्त योजना के अधीन प्रसुविधायें, ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के अध्यधीन प्रदान की जायेंगी, अर्थात् :-

(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, अर्थातः-

(एक) फोटोयुक्त बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या

(दो) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(तीन) पासपोर्ट; या

(चार) राशन कार्ड; या

(पॉच) मतदाता पहचान पत्र; या

(छः) मनरेगा कार्ड; या

(सात) किसान फोटो पासबुक; या

(आठ) मोटरयान अधिनियम-1988 (अधिनियम संख्या-59 सन 1988) के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या

(नौ) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय पत्र शीर्षक पर जारी किया गया ऐसे व्यक्ति का फोटोयुक्त पहचान पत्र; या

(दस) विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जा सकती है।

2- उक्त योजना के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से प्रसुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि मीडिया के माध्यम से लाभार्थियों के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार उन्हें उक्त आवश्यकता से अवगत कराने के लिए किया जायेगा।

3- समस्त मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन विफल हो जाता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाये जायेंगे, अर्थातः-

(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली (आईरिस) स्कैन या फेस अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जाएगी। जिससे विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से निर्बाध रीति से प्रसुविधाओं के परिदान के लिए फिंगरप्रिंट अधिप्रमाणन के साथ ही साथ एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली (आईरिस) स्कैनर या फेस अधिप्रमाणन के लिए उपबन्ध करेगा;

(ख) यदि फिंगरप्रिंट या एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली (आईरिस) स्कैन या फेस अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होता है, तो जहॉ कहीं संभाव्य और अनुज्ञेय हो, सीमित समय की वैधता के साथ यथास्थिति आधार वन-टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन, प्रस्तावित किया जायेगा;

(ग) अन्य समस्त मामलों में जहां बायोमेट्रिक या आधार वन-टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव न हो, वहां उक्त योजना के अधीन प्रसुविधाएं, ऐसे भौतिक आधार पत्र के आधार पर दी जा सकती है

जिसकी अधिप्रमाणिकता, आधार पत्र पर मुद्रित क्विक रिम्पांस कोड (क्यू0आर0 कोड) के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और क्विक रिस्पांस कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था, विभाग द्वारा अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर प्रदान की जायेगी।

4- उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि उक्त योजना के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी अपनी देय प्रसुविधाओं से वंचित न हो, विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से डी0बी0टी0 मिशन कार्यालय ज्ञाप सं0- डी-26011/04/2017-डी0बी0टी0 कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 में यथा रेखांकित अपवाद हैंडलिंग तंत्र का अनुसरण करेगा।

5- यह अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगी।

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।